Government of India
Ministry of Railways
(Railway Board)

RBA NO. 36/2021

No. 2010/AC-II/21/3 (part-i) New Delhi, dated 29 .06.2021

PFA,
All Zonal Railways/PUs

Sub: Simplification of Pension Procedure- Submission of Undertaking by retiring Railway employees.

Ref:-1. Board's letter No. F(E)III/2008/PN1/13 dated 17.3.2015.

2. Board's letter of even No. dated 02.07.2020 (RBA No. 55/2020)

Attention is invited to Board's instructions issued vide letters ibid regarding submission of Letter of Undertaking by the retiring employee at the time of retirement, as a part of simplification of Pension procedure. Now, Bank of Baroda has brought to the notice of this Ministry that the bank is receiving unfilled/partially filled Pensioner's letter of Undertaking (LOU) along with the PPOs. Furthermore, the format of this Undertaking does not conform to the format prescribed by Board's letter referred above. As a result, CPPC of the bank is obtaining this form once again from the pensioners, to set right the discrepancy. This is causing delay in commencement of first pension by the bank.

It is, therefore, advised that the system in vogue may be reviewed and suitable corrective action be taken to avoid recurrence of such instances in future.

29/6/21

(Ajay Bartwal)
Joint Director Finance/CCA
Railway Board

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

आरबीए सं.36/2021

सं.2010/एसी II/21/3 (भाग-i) नई दिल्ली, दिनांक 29.6.2021

प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।

विषय: पेंशन प्रक्रिया का सरलीकरण - सेवानिवृत्त होने वाले रेल कर्मचारियों द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत करना।

संदर्भ: 1. बोर्ड का दिनांक 17.03.2015 का पत्र सं.एफ(ई)।।।/2008/पीएन1/13
2. बोर्ड का दिनांक 02.07.2020 (आरबीए सं.55/2020) का समसंख्यक पत्र।

आपका ध्यान बोर्ड के उक्त पत्रों के तहत जारी अनुदेशों की ओर आकृष्ट किया जाता है जो पेंशन प्रक्रिया के सरलीकरण के भाग के रूप में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति के समय शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के बारे में है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस मंत्रालय को ध्यान दिलाया है कि बैंकों में पेंशनभोगी के पीपीओ के साथ जो शपथ-पत्र प्राप्त हो रहे हैं वे या तो खाली हैं या आंशिक रूप से भरे हुए हैं। इसके अलावा, इस शपथ-पत्र का फार्मेट बोर्ड के उक्त पत्र द्वारा निर्धारित फार्मेट के अनुरूप नहीं है। परिणामस्वरूप बैंक के सीपीपीसी इस विसंगति दूर करने के लिए पेंशनभोगियों से फार्म को दोबारा भरने की मांग कर रहे हैं। इससे बैंक को पहली पेंशन शुरू करने में विलंब हो रहा है।

इसलिए सूचित किया जाता है कि प्रचलित प्रणाली की समीक्षा की जाए और यथोचित सुधारात्मक कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को दोहराने से बचा जा सके।

(अजय बर्तवाल)
संयुक्त निदेशक, वित्त (सीसीए)
रेलवे बोर्ड